



ST. ANN'S SENIOR SECONDARY SCHOOL

Date: 03.01.25

Undertaking for Fire Safety Certificate

To whomsoever it may concern

We, St. Ann's Senior Secondary School, located at Tarla Nagal, Near Doon Helidrome, Kulhan, Sahastradhara Road, Dehradun hereby confirm that we have submitted the application for the Fire Safety Certificate to the concerned authority. The application has been made in compliance with the prescribed regulations and safety norms as per the department and in the annexure as required for the CBSE Affiliation.

The Submitted application has been attached for reference.

MANAGER
ST. ANN'S SR. SEC. SCHOOL
TARLA NAGAL, NEAR DOON HELIDROME
SHASTRADHARA ROAD, DEHRADUN

कार्यालय

मुख्य

अग्नि

शामन

अधिकारी

देहरादून।

पत्रांक: न-9/सूचना-71-2023

दिनांक: फरवरी 25, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

ST. ANN'S SENIOR SECONDARY SCHOOL

KHASRA NO-54, 58, 107, 3120, 52, 60, 55, 56, 59, 105, 57, 61, 1110, 1108, 1105, 1104, 1111, MAUZA-TARLA NAGAL & CHALANG, PARGANA-PARWADOON

जनपद-देहरादून।

विषय

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर आवेदित यूनिट नम्बर 70107480 दिनांक 01.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा KHASRA NO-54,58,107,3120,52,60,55,56,59,105,57,61, 1110,1108,1105,1104,1111, MAUZA-TARLA NAGAL & CHALANG, PARGANA-PARWADOON, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (ST. ANN'S SENIOR SECONDARY SCHOOL) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 11.02.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेशन लाईन नहीं गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन भूतल एवं अप्रैतलर दो तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 50 हजार लीटर क्षमता का भूनिगत पानी टैंक मय फायर पम्प (20 एच.पी. क्षमता) का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के रिगमें में 08 अद्द फायर हाईड्रेन्ट का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक फायर हाईड्रेन्ट के पास क्रेडिल बॉक्स में 02 अद्द डिस्चार्जिंग होजपाईप मय साधारण ब्रॉच पाईप का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 10 हजार लीटर क्षमता का टैरिस टैंक का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 04 वेट सर्जिजर्स का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक वेट सर्जिजर से भवन के प्रत्येक तल में होजरील (30 मीटर लम्बी मय नाजुल) का प्राविधान किया गया है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल में एम्बोसीपीड एवं हूटर का प्राविधान किया गया है।
9. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के भूतल में फायर अस्मर्न पैनल का प्राविधान किया गया है।
10. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में अग्निशमक यंत्र स्थापित किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा में है।
11. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। फायर पम्प हेतु अलग से विद्युत सेन्टर ओवर लगाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
12. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम्बोसीपीड एवं इन्वर्सोपीड पर आधारित है।
13. प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
14. स्वामी/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन के विकास मार्ग/सैट बैंक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी का होगा। भवन के चारों तरफ छोटे मय सैट बैंक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थाई बाधा नहीं बनाया जायेगा।
15. प्रश्नगत भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।


अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पर KHASRA NO-54,58,107,3120,52,60,55,56, 59,105,57,61,1110,1108,1105,1104,1111, MAUZA-TARLANAGAL & CHALANG, PARGANA-PARWADOON, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (ST. ANN'S SENIOR SECONDARY SCHOOL) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुतः भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का बख़्त सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अस्तित्वना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अभिभाग के अन्तर्गत प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को रोक करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेंगे ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित


-अन्तः 02-

MANAGER
ST. ANN'S SR. SEC. SCHOOL
TARLA NAGAL, NEAR DOON HELIDROME
SHASTRADHARA ROAD, D. DUN

-02-

अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन में फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर-0135-2718242 एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर-100, 112 एवं एम्बुलेन्स का टेलीफोन नं०-108 अंकित करेंगे। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।


(आर०-एस० खात्री)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।


MANAGER
ST. ANN'S SR. SEC. SCHOOL
TARLA NAGAL, NEAR DOON HELIDROME
SHASTRADHARA ROAD, D. DUN